पत्र संख्या–स०नि०–सामान्य बजट/आय–व्ययक/2024–25/ **अनुस्मारक/आवश्यक/समयबद्ध**

प्रेषक, 562/राज्य कर

आयुक्त,
राज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

सेवा में,

समस्त जोनल अपर आयुक्त,
राज्य कर, उ0प्र0।
(गाजियाबाद जोन–द्वितीय, मुरादाबाद एवं
अयोध्या जोन को छोड़कर)

(सम्पत्ति अनुभाग)

लखनऊ :: दिनांक :: 01 ~~अक्टूबर~~ नवम्बर, 2023

विषयः–आगामी वित्तीय वर्ष 2024–25 का आय–व्ययक अनुमान के प्रस्ताव उपलब्ध कराये जाने के संबंध में।

महोदय,

कृपया मुख्यालय के पत्र संख्या–523 दिनांक 17–10–2023 **(छायाप्रति संलग्न)** का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा शासन के निर्देशानुसार आगामी वित्तीय वर्ष 2024–25 का आय–व्ययक अनुमान तैयार कराकर मुख्यालय उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दिये गये थे, जिसे संकलित करते हुए समयान्तर्गत शासन प्रेषित किया जा सके, किन्तु **अपर निदेशक, वाणिज्य कर अधिकारी प्रशिक्षण संस्थान–लखनऊ, गाजियाबाद जोन–द्वितीय, मुरादाबाद एवं अयोध्या जोन** द्वारा ही अभी तक आगामी वित्तीय वर्ष 2024–25 का आय–व्ययक अनुमान मुख्यालय प्राप्त कराया गया है। **शेष जोन से अभी तक अप्राप्त है।**

अतः आपको पुनः निर्देशित किया जाता है कि अपने अधीनस्थ कार्यालयों से सम्बन्धित अनुदान संख्या–89 के अन्तर्गत मुख्यालय के पत्र दिनांक 17–10–2023 में उल्लिखित लेखाशीर्षक/मदों में वांछित धनराशि (रू0 लाख में) का पूर्ण औचित्य सहित अनुमान/कराये जाने वाले कार्यों का विवरण (प्रस्ताव) जोनवार तैयार कराकर **प्रत्येक दशा में दिनांक 02–11–2023 तक विशेष पत्रवाहक/ई–मेल ctconshqlu-up@nic.in के माध्यम से** मुख्यालय उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

संलग्नकः–उपरोक्तानुसार।

भवदीया,

(रिया केजरीवाल)
अपर आयुक्त, राज्य कर,
प्रभार–अपर आयुक्त (प्रशासन) राज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पृ०प०सं० व दिनांक उक्त।

प्रतिलिपिः–

1. संयुक्त आयुक्त (स्था0अराज0/प्रभारी–नजारत) राज्य कर, मुख्यालय, लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि नाजिर मुख्यालय को समयान्तर्गत प्रस्ताव उपलब्ध कराये जाने हेतु निर्देशित कर दें।
2. संयुक्त आयुक्त (आई०टी०) राज्य कर, मुख्यालय, लखनऊ को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु प्रेषित।

1/11/23

अपर आयुक्त, राज्य कर,
प्रभार–अपर आयुक्त (प्रशासन) राज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

आवश्यक / समयबद्ध

पत्र संख्या–स०नि०–सामान्य बजट / आय–व्ययक / 2024–25 / 523 / राज्य कर

प्रेषक,

आयुक्त,
राज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

सेवा में,

1– समस्त जोनल अपर आयुक्त,
राज्य कर, उत्तर प्रदेश।

2– अपर निदेशक,
राज्य कर अधिकारी प्रशिक्षण संस्थान,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

(सम्पत्ति अनुभाग) **लखनऊ :: दिनांक :: 17 अक्टूबर, 2023**

विषयः–आगामी वित्तीय वर्ष 2024–25 का आय–व्ययक अनुमान के प्रस्ताव उपलब्ध कराये जाने के संबंध में।

महोदय,

कृपया उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशानुसार आगामी वित्तीय वर्ष 2024–25 का आय–व्ययक अनुमान तैयार कराकर शासन को शीघ्र प्रेषित किया जाना है। अतः अनुदान संख्या–89 के अन्तर्गत निम्न लेखा–शीर्षक / मदों के अन्तर्गत वांछित धनराशि का पूर्ण औचित्य सहित अनुमान तैयार कर उपलब्ध कराया जाना है :–

क0सं0	लेखा–शीर्षक	मद संख्या	कार्य की प्रकृति
1.	2040–बिक्री, व्यापार आदि पर कर–800–अन्य व्यय–03–वाणिज्य कर आयुक्त का अधिष्ठान	29–अनुरक्षण	विद्युत, मशीनरी, उपकरण मरम्मत आदि से सम्बन्धित
2.	2059–लोक निर्माण कार्य–01–कार्यालय भवन– 051–निर्माण–03–वाणिज्य कर विभाग के विभागीय भवन तथा सहायता केन्द्रों के विभागीय भवनों की मरम्मत एवं रख–रखाव कार्य	29–अनुरक्षण	विभागीय कार्यालय भवनों में मरम्मत कार्य हेतु
3.	2216–आवास–01–सरकारी रिहायशी भवन–700 –अन्य आवास–03–वाणिज्य कर विभाग के आवासीय भवनों की विशेष मरम्मत एवं रख–रखाव कार्य	29–अनुरक्षण	विभागीय आवासीय भवनों में मरम्मत कार्य हेतु
4.	4059–लोक निर्माण कार्य पर पूँजीगत परिव्यय–01–कार्यालय भवन–051–निर्माण	24–वृहद् निर्माण कार्य	विभागीय भूमि पर नये कार्यालय भवन के निर्माण हेतु
5.	4059–लोक निर्माण कार्य पर पूँजीगत परिव्यय– 01–कार्यालय भवन–051–निर्माण–31–सहायता केन्द्र / विभागीय कार्यालय भवनों / आवासीय भवनों में लघु निर्माण कार्य	25–लघु निर्माण कार्य	विभागीय कार्यालय / आवासीय भवनों में छोटे (पेटी वर्क्स) लघु निर्माण कार्य
6.	4216–आवास पर पूँजीगत परिव्यय 01–सरकारी रिहायशी भवन–आयोजनेत्तर–700–अन्य आवास	24–वृहद् निर्माण कार्य	विभागीय आवासीय भवनो के नये कार्य (वृहद् निर्माण कार्य) हेतु

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि अपने अधीनस्थ कार्यालयों से सम्बन्धित अनुदान संख्या–89 के अन्तर्गत उपरोक्त लेखाशीर्षक/मदों में वांछित धनराशि (रू0 लाख में) का पूर्ण औचित्य सहित अनुमान/कराये जाने वाले कार्यों का विवरण (प्रस्ताव) जोनवार तैयार कराकर दिनांक 18–10–2023 तक विशेष पत्रवाहक/ई–मेल ctconshqlu-up@nic.in के माध्यम से प्रत्येक दशा में मुख्यालय उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

भवदीया,

(रिया केजरीवाल)
अपर आयुक्त, राज्य कर,
प्रभार–अपर आयुक्त (प्रशासन) राज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पृ०प०सं० व दिनांक उक्त।

प्रतिलिपिः–

1. संयुक्त आयुक्त (स्था0अराज0/प्रभारी–नजारत) राज्य कर, मुख्यालय, लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि नाजिर मुख्यालय को समयान्तर्गत प्रस्ताव उपलब्ध कराये जाने हेतु निर्देशित कर दें।
2. संयुक्त आयुक्त (आई०टी०) राज्य कर, मुख्यालय, लखनऊ को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु प्रेषित।

अपर आयुक्त, राज्य कर,
प्रभार–अपर आयुक्त (प्रशासन) राज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।